कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान,जयपुर

क्रमांक:- G.D.-I/AG-I/Z1-13O24/51//03/2022-23/ दिनांक :-25.07.2022

मैसर्स:-

निविदा आमंत्रण पत्र

इस कार्यालय में एक सिडान कार वाहन (पेट्रोल/डीजल) मासिक किराये के आधार पर अनुबंध पर रखे जाने है । इस हेतु नीचे दी गई सारणी व सलंग्न शर्तों के अनुसार सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	विवरण	वाहन की दरें
1	मासिक किराया 1500 कि.मी. तक	
2	मासिक किराया 2000 कि.मी. तक	
3	मासिक किराया 2500 कि.मी. तक	
4	अतिरिक्त कि.मी चार्ज	
5	अतिरिक्त समय चार्ज	
6	रात्रि चार्ज	

निविदा के साथ में चालक के लाइसेंस व गाड़ी के पंजीकरण की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। उक्त निविदाएं इस कार्यालय में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास 27 जुलाई 2022 को दोपहर 01:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

25/7/22

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी

जी.डी.-I

शर्तें निम्नानुसार हैः-

1. वाहन 2021 या 2022 मॉडल का अच्छी कन्डीशन में तथा पूर्णतया सुसज्जित व सफेद रंग का होना चाहिये ।
2. वाहन चालक को कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
3. सामान्यतः कार्य समय प्रातः 9:00 बजे से सांय 9:00 बजे तक होगा। 12 घण्टे की ड्यूटी पूरी करने के पश्चात ओवर टाइम चार्ज देय होगा।
4. वाहन को सप्ताह में एक दिन का (शनिवार या रविवार) का अवकाश दिया जायेगा।
5. वाहन चालक को अवकाश के दिन भी कार्य पर बुलाया जा सकता है। इस हेतु आँवर टाईम जयपुर में लोकल तथा बाहर जाने की स्थिति में अतिरिक्त कि.मी. चार्ज देय होगा। यदि कार जयपुर से बाहर ट्यूर पर ले जाये तो इसके लिए नाइट होल्ड चार्ज का निविदा अनुसार प्रति नाईट के हिसाब से भुगतान किया जायेगा।
6. उपलब्ध करवायी गयी कार के खराब होने/सर्विस पर होने अथवा वाहन चालक की अनुपस्थिति के दौरान समान प्रकार की दूसरी कार उपलब्ध करवाने/अन्य वाहन चालक की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी फर्म की होगी।
7. यह आशा की जाती है कि कार माह मे दो-तीन बार जयपुर/राजस्थान से बाहर ट्यूर पर जा सकती है।
8. गाड़ी के राजस्थान में व राजस्थान से बाहर जाने पर दूसरे राज्य का टैक्स, टोल टैक्स, पार्किंग खर्चा कार्यालय द्वारा देय होगा।
9. कार का ईंधन, ल्यूब्रिकेन्ट, चालक का वेतन, मरम्मत एवं सभी प्रकार के अन्य टैक्स, इंश्योरेन्स एंव दुर्घटना के संबंध में पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
10. अनुबन्ध समाप्ति हेतु इस कार्यालय को कम से कम एक माह पूर्व अवगत करवाना होगा। कार्यालय को एक माह पूर्व अवगत कराये बिना यदि फर्म अनुबन्ध समाप्त करती है तो फर्म को देय समस्त राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. वाहन चालक के अशोभनीय व्यवहार या गाडी की सही स्थिति नहीं होने पर इस कार्यालय को किसी भी समय अनुबन्ध रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. कार के चालक से संबंध स्थापित करने हेतु उसके निवास का टेलीफोन यदि हो एवं मोबाईल नम्बर कार्यालय को बताना होगा।

13. फर्म की यह जिम्मेदारी होगी कि कार पर समस्त देय कर एवं बीमा राशि, ईंधन, ल्यूब्रिकेन्ट, चालक वेतन का भुगतान समय से किया जाये और कार हमेशा अच्छी कण्डीशन में रहे। यदि कार की रिपेयर/सर्विस होनी है तो अवकाश दिवस में ही कराई जाये।

14. चालक के लाईसेन्स व गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित छाया प्रति कार्यालय को देनी होगी तथा चालक का पुलिस वेरीफिकेशन करवाना होगा।

15. एक माह में 1500 कि.मी. 2000 कि.मी. और 2500 कि.मी. तक (किये जाने वाले अनुबन्ध के अनुसार) लोकल अथवा बाहरी स्थानों की यात्रा पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा।

16. किलोमीटर की रीडिंग गाड़ी के ड्यूटी के स्थान पर पहुँचने से लेकर ड्यूटी का स्थान छोडने के स्थान तक की ली जायेगी। ड्यूटी का स्थान इस कार्यालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

17. ड्यूटी समय के बाद गाड़ी की पार्किंग की जिम्मेदारी फर्म की होगी।

18. माह के दौरान 1500 कि.मी., 2000 कि.मी. या 2500 कि.मी. तक (किये जाने वाले अनुबन्ध के अनुसार) से कम चलित कि.मी. को आगामी माह में समायोजित किया जावेगा परन्तु एक माह के बाद उक्त कि.मी व्यपगत हो जायेंगे।

19. फर्म को कोविड-19 के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिष्चित करनी होगी एवं इस पर होने वाला पूर्ण व्यय फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।

मैं श्री...पता

....

उपरोक्त सभी शर्तों पर सहमति देता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर